



प्रेस नोट

दिनांक 04.06.2025

## **02 अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।**

पुलिस अधीक्षक महोदय हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना कोतवाली राठ व थाना जलालपुर से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

### **जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-**

1. अभियुक्त- पवन खटिक पुत्र हरनारायण उर्फ हलकुट्टा निवासी ग्राम सदर (कैथा) कोतवाली 5 राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 24.04.2025 से 06 माह।
2. अभियुक्त- मूलचन्द्र पुत्र हरगोपाल निवासी ग्राम कुपरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर, दिनांक 24.04.2025 से 06 माह।